मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVI अंक 9 मार्च 2021

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	विनियमन	1
II.	भुगतान एवं निपटान प्रणाली	2
III.	विदेशी मुद्रा	3
IV.	सरकार का बैंकर	3
V.	मौद्रिक नीति	4
VI.	आरबीआई प्रकाशन	4
VII.	सर्वेक्षण	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका मार्च माह में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in के साथ-साथ क्यूआर कोड स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

स्थायी बाह्य सलाहकार समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मार्च 2021 को यूनिवर्सल बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी) के सदस्यों के नामों की घोषणा की। एसईएसी की संरचना है :

i. श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, अध्यक्ष
ii. सुश्री रेवती अय्यर, निदेशक, केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, सदस्य
iii. श्री बी. महापात्रा, पूर्व कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक और वर्तमान में अध्यक्ष, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई), सदस्य
iv. श्री टी.एन. मनोहरन, पूर्व अध्यक्ष, केनरा बैंक, सदस्य
v. श्री हेमंत जी. कोंट्रेक्टर, पूर्व प्रबंध निदेशक , भारतीय स्टेट बैंक और पूर्व अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए), सदस्य

यह स्मरण किया जाता है कि निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए दिनांक 1 अगस्त 2016 के दिशानिर्देश तथा निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए 5 दिसंबर 2019 के दिशानिर्देशों में यह दर्शाया गया था कि यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन शुरू में रिज़र्व बैंक द्वारा आवेदकों की प्रथम दृष्टया पात्रता सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। यह भी सूचित किया गया था कि बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों वाली एक स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी), उसके बाद के आवेदनों का मूल्यांकन करेगी और रिज़र्व बैंक द्वारा एसईएसी के गठन की घोषणा की जाएगी। इस एसईएसी का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप

रिज़र्व बैंक ने 12 मार्च 2021 को यूनिफ़ॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट के दो अनुबंधों में दिए गए तीन प्रारूपों को संशोधित किया। अनुबंध- I में क्रेडिट रिपोर्टिंग, अर्थात, उपभोक्ता ब्यूरो और वाणिज्यिक ब्यूरो के लिए दो प्रारूप हैं, जबकि अनुबंध- II में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एमएफआई) सेगमेंट के लिए क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप है। संशोधित प्रारूप निम्नानुसार हैं :

- उपभोक्ता ब्यूरो: फ़ील्ड का लेबल ' राइट ऑफ और सेटलड स्टेटस 'को ' क्रेडिट सुविधा स्टेटस' के रूप में संशोधित किया गया है और इसमें नई कैटलॉग वैल्यू, अर्थात ' कोविड-19 के कारण पुनर्गठित ' भी होगा।
- वाणिज्यिक ब्यूरो: मौजूदा क्षेत्र 'पुनर्गठन के प्रमुख कारणों' में, 'कोविड-19 के कारण पुनर्गठित' एक नया कैटलॉग मूल्य होगा।
- एमएफआई ब्यूरो: मौजूदा क्षेत्र 'खाता स्थिति ' में एक नया कैटलॉग मूल्य होगा, अर्थात, ' कोविड-19 के कारण पुनर्गठित '।

कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा पर 6 अगस्त 2020 के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 में परिकल्पित किए अनुसार सीआईसी में पुनर्गठित ऋणों से संबंधित सूचना रिपोर्ट करने के लिए बैंकों / एआईएफआई / एनबीएफसी को सक्षम करने के लिए उक्त संशोधन किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 23 मार्च 2021 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 2 फरवरी 2021 के संशोधित आदेश के अनुसार, दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी मास्टर निदेश में संशोधन किया। इसके अलावा, धारा 54 में निम्नलिखित शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है:"गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर यूएपीए के लिए नोडल अधिकारियों की सूची उपलब्ध है।"

विनियमित संस्थाओं (आरई) को अन्य बातों के साथ- साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि 14 मार्च 2019 के विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का, जिसे मास्टर निदेश के अनुबंध II में दर्शाया गया है, का कड़ाई से पालन किया जाए तथा सरकार के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में, गृह मंत्रालय ने 14 मार्च 2019 के पूर्व आदेश को अधिक्रमित करते हुए 2 फरवरी 2021 को संशोधित आदेश जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

वृहत एक्स्पोजर ढांचा

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मार्च 2021 को यह निर्णय लिया है कि गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर को 30 सितंबर 2021 तक एक्स्पोजर सीमा से बाहर रखा जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

यूसीबी का समामेलन

रिज़र्व बैंक ने 23 मार्च 2021 को मास्टर निदेश - शहरी सहकारी बैंक निदेश , 2020 जारी किया । ये दिशानिर्देश दो या अधिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के समामेलन को शामिल करेंगे।

रिज़र्व बैंक निम्नलिखित परिस्थितियों में विलय और समामेलन के प्रस्तावों पर विचार कर सकता है:

(i) जब समामेलित बैंक का निवल मूल्य सकारात्मक होता है और समामेलनकर्ता बैंक समामेलित बैंक के सभी जमाकर्ताओं की संपूर्ण जमाराशियों की रक्षा करने का आश्वासन देता है।

(ii) जब समामेलित बैंक का निवल मूल्य ऋणात्मक होता है और समामेलनकर्ता बैंक स्वयं समामेलित बैंक के सभी जमाकर्ताओं की जमाराशियों की रक्षा करने का आश्वासन देता है।

(iii) जब समामेलित बैंक का निवल मूल्य ऋणात्मक होता है और समामेलनकर्ता बैंक राज्य सरकार द्वारा विलय की प्रक्रिया के भाग के रूप में बढ़ाए गए वित्तीय सहायता से समामेलित बैंक के सभी जमाकर्ताओं की जमाराशियों की रक्षा करने का आश्वासन देता है।

यूसीबी के समामेलन प्रस्तावों के निपटान में संबंधित बैंकों के बोर्ड इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समामेलन के निर्णय को बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित किया जाएगा, दोनों समामेलनकर्ता और समामेलित यूसीबी की संख्या और मूल्य के अर्थ में और केवल मौजूद और मत देने वालों के संख्या नहीं।

रिज़र्व बैंक द्वारा समामेलन योजना को मंजूरी दिए जाने की स्थिति में, एक असंतुलित शेयरधारक, उस यूसीबी में उसके द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में, संबंधित यूसीबी से, मंजूरी की तारीख से 3 महीने के भीतर, रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना के अनुसार दावा करने का हकदार है। हालाँकि, यदि इन दोनों यूसीबी के कुछ शेयर धारकों, जिन्होंने उधार के साथ सहल्ग्न शेयरों को खरीदा है, और जिनका ली गई ऋण सुविधाओं से संबंधित बकाया राशि हो तो ऐसे शेयरधारक द्वारा संबंधित यूसीबी को बकाया राशि के पूर्ण और अंतिम निपटान करने के बाद ही वह मूल्य रीफंड के लिए हकदार हो होगा। पूर्ण मास्टर निदेश पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

क्यूएफ़सी की द्विपक्षीय नेटिंग

अर्हताप्राप्त वित्तीय संविदा अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की द्विपक्षीय नेटिंग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है। अधिनियम योग्य वित्तीय संविदाओं (क्यूएफसी) के द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया गया है (ए) "डेरिवेटिव"; तथा (बी) "रेपो" और "रिवर्स रेपो" लेनदेन जिसे क्यूएफ़सी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-डी की धारा 45 (यू) के तहत परिभाषित किया गया है। तदनुसार, निम्नलिखित परिपत्रों में निहित चुनिंदा निर्देशों को संशोधित किया गया है :

ए) 'बेसल III पूंजी विनियमन' पर मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी. 1/21.06.201/2015-16, दिनांक 1 जुलाई 2015 जो अनुबंध 1 में उल्लिखित किया गया है ;

बी) चलनिधि मानकों पर 'बेसल III फ्रेमवर्क – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) - अंतिम दिशानिर्देश' पर परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.106/21.04.098/2017-18 दिनांक 17 मई 2018 जो अनुबंध 2 में उल्लिखित किया गया है ;

सी) 'आय निर्धारण , परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानिकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड' पर मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 जो अनुबंध 3 में उल्लिखित किया गया है ; तथा

डी) पूंजीगत पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मानदंड- नई दिशा-निर्देश-नई पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ़) पर मास्टर परिपत्र DBR.No.BP.BC.4./21.06.001/2015-16 1 जुलाई, 2015 जो अनुबंध 4 में उल्लिखित किया गया है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

सीटीएस का विस्तार

रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2021 को देश की सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) का विस्तार करने का निर्णय लिया। इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए, बैंको को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सभी शाखाएँ दिनांक 30 सितंबर 2021 से संबंधित ग्रिड्स के अंतर्गत छवि - आधारित सीटीएस में भाग लें। वे अपना मॉडल चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जैसे कि प्रत्येक शाखा में यथोचित बुनियादी ढांचे की स्थापना अथवा एक हब और स्पोक मॉडल को अपनाना इत्यादि और संबंधित बैंक इसके कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

ई-जनादेश की प्रोसेसींग

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 अगस्त 2019, 10 जनवरी 2020 और 4 दिसंबर 2020 को कार्ड/ वैलट/ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई)का उपयोग करते हुए आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-जनादेश के प्रोसेसींग के लिए एक रूपरेखा जारी की थी।

रूपरेखा ने यह सुनिश्चित किया था कि ऐसे लेनदेन की सुरक्षा, बचाव और सुविधा को पर्याप्त रूप से संतुलित करके ग्राहकों की बदलती भुगतान जरूरतों को समायोजित किया गया था। रिज़र्व बैंक द्वारा हितधारकों को रूपरेखा में माइग्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2021 तक पर्याप्त समय दिया गया था।

हालाँकि, यह नोट किया गया कि रूपरेखा के अनुसार मौजूदा और साथ ही ग्राहकों के नए जनादेश की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कुछ हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और ग्राहकों को किसी भी असुविधा को रोकने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2021 तक रूपरेखा का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एक बारगी उपाय के रूप समय- सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। विस्तारित समयरेखा के दौरान, ऑनलाइन लेन-देन के लिए कोई नया जनादेश हितधारकों द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक इस तरह के जनादेश ढांचे के अनुरूप न हों।

विस्तारित समय-सीमा से परे रूपरेखा के पूर्ण पालन को सुनिश्चित करने में अतिरिक्त देरी, रिज़र्व बैंक द्वारा कड़े पर्यवेक्षी कार्रवाई को आकर्षित करेगी। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2021 को भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) और भुगतान गेटवे के विनियमन के दिशा-निर्देशों पर एक निदेश जारी किया था।

17 मार्च 2020 के परिपत्र के अनुसार न तो अधिकृत पीए और न ही उनके द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए व्यापारी अपने डेटाबेस या सर्वर के भीतर ग्राहक कार्ड क्रेडेंशियल स्टोर कर सकते हैं।

उपरोक्त निर्देशों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाले उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने एकमुश्त उपाय के रूप में, गैर-बैंक पीए के लिए समय-सीमा को छह महीने अर्थात 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया, ताकि भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और प्रतिभागियों को व्यावहारिक समाधान,जैसे टोकनाइजेशन, को दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र और दिनांक 08 जनवरी 2019 के "टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन " के परिपत्र में निर्धारित रूपरेखा के भीतर सक्षम किया जा सके। दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

विशेष क्लियरिंग ऑपरेशन

रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च 2021 को सभी बैंकों को सूचित किया कि किसी भी कार्यदिवस 'बुधवार' को लागू सामान्य समाशोधन समय का पालन 31 मार्च 2021 को किया जाएगा।

इसके अलावा, 31 मार्च 2021 तक चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए सभी सरकारी लेनदेन के लेखांकन की सुविधा के लिए, तीन सीटीएस ग्रिड (नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई) में विशेष रूप से सरकारी चेक के लिए 31 मार्च 2021 को विशेष क्लियरिंग आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

31 मार्च 2021 को सभी बैंकों को विशेष समाशोधन संचालन में भाग लेना अनिवार्य था। संबंधित सीटीएस ग्रिड के तहत सभी सदस्य बैंकों से विशेष समाशोधन घंटों के दौरान अपनी आवक समाशोधन प्रसंस्करण अवसंरचना को खुला रखने और विशेष समाशोधन से उत्पन्न निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए उनके समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त संतुलन बनाए रखना अपेक्षित था। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

III. विदेशी मुद्रा

(फेटर्स) - कार्ड

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2021 को निर्णय लिया कि 'फेटर्स-काड्र्स' नामक नई विवरणी, जोकि उसी पोर्टल (https://bop.rbi.org.in) पर उपलब्ध है, के माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसे माध्यमों का उपयोग करते हुए किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों के संबंध में उनके इलेक्ट्रोनिक वर्गीकरण (मर्चेंट श्रेणी कोड़-MCC) सहित अन्य विस्तृत विवरण प्राप्त किए जाए।

प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) के नोडल कार्यालय उक्त वेब पोर्टल पर निम्नलिखित तरीके से फेटर्स-काड्र्स संबंधी विवरण प्रस्तुत करें।

❑ भारत के निवासी द्वारा किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए प्राधिकृत व्यापारी द्वारा की गई विदेशी मुद्रा की बिक्री (इसे कार्ड जारीकर्ता/लेनदेन का प्रारंभ करने वाले एडी द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा), और

❑ भारत के निवासी के साथ किसी विदेशी निवासी द्वारा किए गए लेनदेन के तहत प्राधिकृत व्यापारी द्वारा की गई विदेशी मुद्रा की खरीद (इसे मर्चेंट के अधिग्रहणकर्ता एडी द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा)

❑ प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा कार्ड के माध्यम से किए गए सभी प्रकार के लेनदेनों की रिपोर्टिंग की जानी अपेक्षित है (जैसे: पीओएस टर्मिनल के मार्फत किए गए लेनदेन/ ई-कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) के माध्यम से किए गए लेनदेन/ बैंक खातों में निधियों के अंतरण संबंधी लेनदेन)।

❑ प्राधिकृत व्यापारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए लॉगिन-नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए वेब-पोर्टल (https://bop.rbi.org.in) पर फेटर्स- कार्ड डेटा प्रस्तुत करें। जिस माह के लिए डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी अंतिम तिथि से सात कार्य-दिवसों के भीतर उक्त डेटा प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

❑ फेटर्स - कार्ड रिपोर्टिंग की व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से होने वाले लेन-देन के लिए लागू की जाएगी।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

एलआरएस के तहत आईएफ़एससी में विप्रेषण

रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2021 को सूचित किया कि कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवेश की सीमाएं वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 15% पर अपरिवर्तित रहेंगी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में एफपीआई निवेश के लिए संशोधित सीमाएं अलग से सूचित की जाएंगी।विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

IV. सरकार का बैंकर

सरकारी खातों की लेखा बंदी

रिज़र्व बैंक ने 25 मार्च 2021 को सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेन-देनों को इसी वित्तीय वर्ष में ही गिना जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2021 के सरकारी लेनदेनों के रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :

❑ सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों से संबंधित ओवर द काउंटर लेनदेनों के लिए अपनी नामित शाखाओं को 31 मार्च 2021 को सामान्य कार्य समय तक खोले रखें।

❑ राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) के माध्यम से होने वाले लेनदेन पहले की तरह 31 मार्च 2021 को भी 2400 बजे तक जारी रहेंगे।

❑ 31 मार्च 2021 को सरकारी चेकों के संग्रहण करने के लिए विशेष समाशोधन का कार्य किया जाएगा और इसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक आवश्यक अनुदेश जारी करेगा।

❑ जीएसटी/ई-प्राप्तियों से संबंधित लगेज़ फाइलों को अपलोड करने और केंद्र और राज्य सरकारों के लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने के संबंध में 31 मार्च 2021 की रिपोर्टिंग विंडो को और आगे बढ़ाया जाएगा और यह 1 अप्रैल 2021 को 1200 बजे तक खुला रहेगा।

❑ एजेंसी बैंक इसे ध्यान में रखें और इस संबंध में की गई इस विशेष व्यवस्था के बारे में उचित प्रचार-प्रसार करें।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

V. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति की बैठक की समय सारणी

रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेड आई के अनुसार 2021-22 के दौरान मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की तारीखें जारी कीं। 2021-22 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की तारीखें निम्नानुसार हैं :

- ❑ 5 से 7 अप्रैल 2021
- ❑ 2 से 4 जून 2021
- ❑ 4 से 6 अगस्त 2021
- ❑ 6 से 8 अक्तूबर 2021
- ❑ 6 से 8 दिसंबर 2021
- ❑ 7 से 9 फरवरी 2022

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VI. रिज़र्व बैंक प्रकाशन

रिज़र्व बैंक बुलेटिन – मार्च 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2021 को मासिक बुलेटिन के मार्च 2021 के अंक को जारी किया। बुलेटिन में एक भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

चार आलेख निम्नानुसार हैं :

❑ **अर्थव्यवस्था की स्थिति** : दुनिया के देशों द्वारा अपनी आबादी को टीका लगाने की आपा-धापी को देखते हुए अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही (ति2) में खोई हुई गति को पुनः प्राप्त कर ले। हालांकि बॉन्ड विजिलेंट्स से समुत्थान को नुकसान पहुँच सकता है, वित्तीय बाजार अस्थिर हो सकते हैं और उभरते बाजारों से पूँजी का पलायन हो सकता है। रिज़र्व बैंक प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) का सुसंगत विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है, लेकिन ताली बजाना हो या तांडव रोकना, एक हाथ से नहीं हो सकता।

❑ **कोविड-19 काल में अपारंपरिक मौद्रिक नीति** : यह लेख दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा आजमाए गए विभिन्न यूएमपीटी और उन्हें अपनाने के औचित्य का संक्षिप्त लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के मद्देनज़र इस लेख में रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित कई उपायों और वित्तीय बाजार गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में उनके प्रभाव पर चर्चा की गई है।

अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि दीर्घकालिक रिपो परिचालनों (एलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा से मुद्रा और बॉण्ड बाजारों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा, जबकि विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट्स) की घोषणा से जी-सेक बाजार में टर्म प्रीमियम में काफी कमी आयी जिससे निधीयन की लागत घटी और वित्तीय हालात सुधरे।

❑ **केंद्रीय बजट 2021-22 : आकलन** - इस लेख में केंद्रीय बजट 2021-22 का आकलन किया गया है। इस बजट में वृद्धि में कोविड पश्चात हुए सुधार के लिए प्रति-चक्रिय निवेश-प्रेरित राजकोषीय सहारे को प्राथमिकता देते हुए एकदम सटीक संतुलन प्रस्तुत किया गया है।

❑ **वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए घरेलू वित्तीय बचत और हाउसहोल्ड ऋण-जीडीपी अनुपात का अनुमान** - यह लेख जीडीपी अनुपात में दूसरी तिमाही के लिए 2020-21 के हाउसहोल्ड के ऋण अनुमान प्रस्तुत करता है। लेख की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं :

i) प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि हाउसहोल्ड वित्तीय बचत दर में अच्छी-ख़ासी गिरवाट हुई और वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में यह जीडीपी का 10.4 प्रतिशत तक हो गई जबकि इसके ठीक पहले वाली तिमाही में यह 21.0 प्रतिशत थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे खुलने के साथ ही हाउसहोल्ड 'सिर्फ अत्यावश्यक' खर्च के बजाए विवेकपूर्ण खर्च करने लगे।

ii) जीडीपी की तुलना में हाउसहोल्ड कर्ज का अनुपात वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 35.4 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में 37.1 प्रतिशत हो गया, जो वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही से लगातार बढ़ता आ रहा है।

iii) हाउसहोल्ड की वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि के बावजूद उनकी वित्तीय बचत में गिरावट आई है, क्योंकि वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में बैंकों और एनबीएफसी से लिए गए ऋणों की वजह से वित्तीय देनदारियों का प्रवाह सकारात्मक क्षेत्र में लौट आया है।

iv) खपत और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में हाउसहोल्ड की वित्तीय बचत दर और गिर सकती है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VII. सर्वेक्षण

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटीईएस पर सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के निर्यात पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण के 2019-20 दौर से संबंधित आंकड़े दिनांक 16 मार्च 2021 को जारी किए। सर्वेक्षण की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

❑ भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात 2019-20 के दौरान 128.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

❑ कुल सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और आईटीईएस / बीपीओ सेवाओं के निर्यात का क्रमशः 66.6 प्रतिशत और 33.4 प्रतिशत का योगदान रहा ।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

आरबीआई मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू से संबंधित स्वामित्व और अन्य ब्यौरे के बारे में विवरण

फार्म IV

प्रकाशन का स्थान	**मुंबई**
प्रकाशन की आवधिकता	मासिक
संपादक, प्रकाशक और प्रिंटर का नाम, राष्ट्रीयता और पता:	योगेश दयाल भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई - 400001
व्यक्ति का नाम और पता जिसके पास न्यूजपेपर का स्वामित्व है	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई - 400001

मैं, योगेश दयाल, एतद्वारा घोषित करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।.

ह/-
योगेश दयाल
प्रकाशक के हस्ताक्षर
1 मार्च 2021

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।